<u>उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल</u>

रिट याचिका (एस/एस) संख्या–3704/2017

मोहन राम .... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य .... प्रत्यर्थी

उपस्थित :
श्री बी0एन0 मोलखी, अधिवक्ता – याचिकाकर्ता की ओर से।
श्रीमती इन्दु शर्मा – उत्तराखण्ड राज्य की ओर से प्रतिनिधि।

<u>निर्णय</u>

<u>माननीय शरद कुमार शर्मा, जे0</u>

मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी विभाग में जिला चम्पावत में दिनांक–22.07.1980 को फायरमैन के रूप में शामिल किया गया था। याचिकाकर्ता के द्वारा तीव्र भावना से प्रदान की गयी उत्साही सेवाओं के कारण उसे वर्ष 1988 में अग्निशमन सेवा चालक के पद पर पदोन्नत किया गया था। जन्मतिथि के अनुसार, जैसा कि याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 03.08.1954 थी। याचिकाकर्ता को सेवा रिकॉर्ड में दर्ज की गयी उपरोक्त जन्मतिथि के अनुसार अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करनी थी, लेकिन सम्बन्धित विभाग की लिपिकीय गलती के कारण स्वीकृत रूप से याचिकाकर्ता को अधिवार्षिता की आयु से परे दिनांक–01.09.2014 से दिनांक–30.09.2014 तक की विस्तारित अवधि तक याचिकाकर्ता को उसका सेवा करने दी गयी। उन सेवाओं के वेतन, जो सेवाएं याचिकाकर्ता के द्वारा विस्तारित अवधि तक दी गयी थी और जिसके लिए याचिकाकर्ता को भुगतान किया गया था, प्रत्यर्थी के द्वारा आदेश दिनांकित–02.08.2017 के माध्यम से यह कहते हुए वसूली चाही गयी कि दिनांक–01.09.2014 से दिनांक–30.09.2016 तक की विस्तारित अवधि के लिए किये गये भुगतान को प्राप्त करने का याचिकाकर्ता हकदार नहीं था।

2. कुछ तथ्य जो विवादित नहीं हैं, वे यह हैं कि याचिकाकर्ता ने दिनांक–01.09.2014 से दिनांक–30.09.2016 तक विस्तारित अवधि के लिए आधिकारिक कर्तव्यों का पालन किया था, यह वह विवादित अवधि है, जिसके दौरान

याचिकाकर्ता के द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के लिए उसे वेतन भुगतान किया गया था। प्रत्यर्थी का मामला यह नहीं है कि याचिकाकर्ता अधिवार्षिता आयु की प्राप्ति के बाद कपट या दुर्व्यपदेशन के आधार पर दिनांक–01.09.2014 से दिनांक–30.09.2016 तक सेवा में बना रहा था, इस कारण प्रत्यर्थी के द्वारा उक्त विस्तारित अवधि में किये गये भुगतान की धनराशि की वसूली के लिए जारी आक्षेपित आदेश दिनांकित–02.08.2017 विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है, विशेष रूप से क्योंकि याचिकाकर्ता की दिनांक–31.08.2014 की अधिवार्षिता आयु के बाद याचिकाकर्ता के द्वारा स्वैच्छिक रूप से सेवाएं दी गयी हैं और प्रत्यर्थी के द्वारा विस्तारित अवधि में सेवाएं ली गयी हैं। यहां तक कि आक्षेपित आदेश जारी करते हुए यह अवलोकित नहीं किया गया है कि विस्तारित अवधि में याचिकाकर्ता के द्वारा की गयी सेवा कपट का प्रयोग करते हुए नहीं की गयी थी और दिनांक–01.09.2014 से दिनांक–30.09.2016 तक किया गया भुगतान वास्तव में पारिश्रमिक है जो दिनांक–31.08.2014 को अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने के बाद याचिकाकर्ता के द्वारा विभाग को प्रदान की गयी सेवाओं के बदले भुगतान किया गया था।

3. चूंकि आक्षेपित आदेश द्वारा वसूल की जाने वाली धनराशि वास्तव में एक ऐसी उपार्जित धनराशि है, जो याचिकाकर्ता को उसके द्वारा की गयी सेवाओं के कारण प्राप्त हुई थी और याचिकाकर्ता सेवा में किसी भी अवैध तरीके से नहीं बने रहा था इसलिए उक्त धनराशि याचिकाकर्ता से उसकी सेवानिवृत्ति के बाद या उसकी सेवाएं दिनांक–30.09.2016 को समाप्त होने के बाद वसूल नहीं की जा सकती है।

4. प्रत्यर्थी–राज्य के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कथन किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा चण्डी प्रसाद उनियाल और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य (2012) 8 एस0सी0सी0 417 के मामले में पारित किये गये निर्णय के आलोक में याचिकाकर्ता, याचिकाकर्ता के द्वारा विस्तारित अवधि में की गयी सेवाओं के लिए वेतन प्राप्त करने का हकदार नहीं है, विशेषकर उक्त निर्णय के पैरा संख्या–8 और 13 का सन्दर्भ दिया गया, जो निम्नवत है –

> "8. प्रस्तुत किये गये विभिन्न निर्णयों के अवलोकन के बाद हमारा विचार है कि न्यायालय के द्वारा ऐसा कोई सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं किया गया है कि केवल जब कपट या दुर्व्यपदेशन के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त की जाती है केवल तभी वेतन के

अनियमित/गलत निर्धारण के कारण भुगतान की गयी धनराशि वसूल की जायेगी।

13. हम इस बात से आश्वस्त नहीं हैं कि इस न्यायालय ने पहले निर्दिष्ट विभिन्न निर्णयों में कोई विधि की प्रतिपादनाएं स्थापित की हैं कि जब राज्य या उसके अधिकारी यह स्थापित कर देते हैं कि अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति के द्वारा कपट या दुर्व्यपदेशन से अतिरिक्त वेतन प्राप्त किया गया है केवल तभी उक्त धनराशि वसूल की जा सकती है। दूसरी तरफ उपरोक्त के अलावा ऐसे मामलों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से अधिकांश मामलों में ऐसे विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों का उल्लेख है कि धनराशि प्राप्तकर्ता सेवानिवृत्त हो चुका है या सेवानिवृत्ति के कगार पर था या प्रशासनिक पदानुक्रम में नीचले पदों पर आसीन था।''

5. वास्तव में, यदि उक्त निर्णय के पैरा–8 और 13 को ध्यान में लिया जाता है, तो कुछ स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई धनराशि वसूल नहीं की जा सकती है कि कर्मचारी उसके द्वारा कारित किये गये कपट के कारण विभाग में सेवा में नहीं रह गया है और स्वीकृत रूप से अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने के बाद भी याचिकाकर्ता विस्तारित अवधि तक सम्बन्धित विभाग की लापरवाही व गलती के कारण बना रहा। इसलिए अधिवार्षिता की आयु के तथ्य को ज्ञान में रखने का भार प्रत्यर्थीगण पर है और यदि वे स्वेच्छा से विस्तारित अवधि तक सेवाएं लेते हैं और उस अवधि के लिए वेतन भुगतान करते हैं तो विस्तारित अवधि तक किये गये भुगतान को याचिकाकर्ता को सेवा के लिए प्रदान किया गया पारिश्रमिक माना जायेगा क्योंकि इसके लिए याचिकाकर्ता के द्वारा कोई कपट कारित नहीं किया गया है और इसलिए उक्त धनराशि को आक्षेपित आदेश जारी करके वसूल नहीं किया जा सकता था, जिसे चुनौती दी गयी है।

6. इसलिए लोकधन का अतिरिक्त भुगतान, जो किसी कर्मचारी को उसके द्वारा की गयी सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है, केवल तभी वसूल किया जा सकता है, जब प्रत्यर्थी द्वारा की गई जांच में यह पाया जाये कि उक्त कर्मचारी सक्षम अधिकारी के साथ कपट या दुर्व्यपदेशन कारित करके अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने के बाद भी सेवा में बना रहा था। चूंकि प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत प्रति शपथ पत्र में ऐसा कोई मामलानहीं है, इसलिए चण्डी प्रसाद उनियाल के उपरोक्त

निर्णय की विधि व्यवस्था वर्तमान मामले से पूरी तरह से भिन्न है, जो वर्तमान मामले में विचारणीय विषय है।

7. याचिकाकर्ता की ओर से कथन किया गया है कि यदि याचिकाकर्ता के द्वारा दिनांक–01.09.2014 से दिनांक–30.09.2016 तक की गयी सेवाओं के लिए भुगतान किये गये वेतन की वसूली का निर्देश जारी करने वाले आक्षेपित आदेश को विचार में लिया जाये तो भी उक्त आक्षेपित आदेश दिनांकित–02.08.2017 के अनुसरण में वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है क्योंकि उक्त जांच में याचिकाकर्ता को उसकी अधिवार्षिता की आयु के बाद विस्तारित अवधि में दी गयी सेवाओं के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता को जो भी धनराशि भुगतान की गयी है वह पारिश्रमिक मानी जायेगी, जो उसके द्वारा दी गयी सेवाओं के लिए अर्जित की गयी है, जो सेवाएं प्रत्यर्थी के द्वारा प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार स्वेच्छिक रूप से याचिकाकर्ता से ली गयी है।

8. इसलिए, प्रत्यर्थी को याचिकाकर्ता की अधिवार्षिता की आयु के बाद भी याचिकाकर्ता की सेवा जारी रखने और उससे विस्तारित अवधि तक ली गयी सेवाओं के लिए और दिनांक–30.09.2016 को याचिकाकर्ता की विस्तारित अवधि समाप्त करने के भी काफी दिन बाद सोची गयी युक्ति के आधार पर धनराशि की वसूली के लिए पारित किया गया आदेश दिनांकित–02.08.2017 विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है क्योंकि यदि उक्त आदेश को विचार में लिया जाये तो उससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि उनके द्वारा जांच रिपोर्ट के उस निष्कर्ष पर कोई स्वतंत्र दिमाग का उपयोग नहीं किया गया है, जिसमें प्रत्यर्थी के द्वारा याचिकाकर्ता को उसकी अधिवार्षिता की आयु के दिनांक–31.08.2014 के बाद भी याचिकाकर्ता को उसकी सेवा जारी रखने की अनुमति दी गयी है।

9. इस स्थिति में, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता को उसकी विस्तारित सेवाओं के लिए जो धनराशि प्रदान की गयी थी, उसके लिए याचिकाकर्ता किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है और याचिकाकर्ता से कोई धनराशि प्रत्यर्थी आपेक्षित आदेश के माध्यम से वसूल नहीं कर सकता है और वह भी जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष को ध्यान में रखे बिना और विस्तारित अवधि के लिए भुगतान की गयी धनराशि को वसूल करने के लिए जारी आक्षेपित आदेश में कोई

संतोषजनक तर्क उल्लिखित किये बिना। इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता के आलोक में धनराशि की वसूली के लिए जारी किया गया निर्देश जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष को ध्यान में लिये बिना सरसरी प्रकृति का और बिना मस्तिष्क व विवेक के प्रयोग का होना प्रतीत होता है। इसलिए आक्षेपित आदेश पोषणीय नहीं है। आक्षेपित आदेश दिनांकित–02.08.2017 निरस्त किया जाता है। रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भारत संघ बनाम हरनाम सिंह (1993) 2 एस0सी0सी0 162 के मामले में अवधारित किया गया है कि एक कर्मचारी को भर्ती के नियमों के अनुसार सेवाओं में शामिल करने के बाद, वह सेवा में बने रहने का हकदार होगा। जब तक कि सेवाओं को उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद प्रासंगिक सेवा नियमों में निहित या अन्य आधार के साथ समाप्त नहीं किया जाता है। सेवा में शामिल होने वाले एक कर्मचारी की सेवाओं को नियोक्ता द्वारा विनियमित किया जाता है और यदि अधिवार्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के बाद याचिकाकर्ता को सेवा जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाती है तो उसके लिए याचिकाकर्ता को किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

11. (1998) 1 इलाहाबाद सिविल जर्नल 596, राम खेलावन पाठक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के एक निर्णय में और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ ने लगभग एक समान मुद्दे पर विचार करते हुए, जहां एक कर्मचारी को अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने के बाद भी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई थी, विचारणीय विषय था और विद्वान एकल न्यायाधीश ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों के आधार पर निर्णय आधारित किया था –

(i) एस0वी0 भीम भट्ट और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, जे0टी0 1996 (2) उच्चतम न्यायालय 236

(ii) महमूद हसन और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1997) 1 उच्चतम न्यायालय 353

(iii) श्याम बाबू वर्मा और अन्य बनाम भारत संघ (1994) 2 एस0सी0सी0 621

(iv) हरीश चंद्र श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1996) इलाहाबाद सिविल जर्नल 1130

(v) गैब्रियल सेवर फर्नांडीस बनाम कर्नाटक राज्य (1965) सप्लीमेंटरी 1 एस0सी0सी0 149

अवधारित किया था कि यदि किसी कर्मचारी को अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने के बाद भी जारी रखा जाता है, तो उसे दिए गए वेतन की वसूली नहीं की जा सकती है। इलाहाबाद सिविल जर्नल 1998 में रिपोर्ट किए गए उपरोक्त निर्णय का पैरा–9 निम्नवत है –

''8. एक ऐसे मामले में जहां एक कर्मचारी ने अपनी अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने के बाद विस्तारित अवधि में कार्य किया है, तो उक्त अवधि को अवशिष्ट अवधि माना जाना चाहिए जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एस.वी. भीम भट्ट और एक अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य मामले में अभिनिर्धारित किया है। महमूद हसन और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जे0टी0 1997 (I) एससी 353 में भी यह विषय विचारणीय था, जहां कर्मचारियों की पदोन्नति नियम विरूद्ध होने के कारण कर्मचारियों को निचले पद पर वापस भेज दिया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जिन लोगों को सुधारात्मक प्रक्रिया के कारण पदावनत किया गया था, उनके द्वारा उस अवधि के दौरान किये गये काम के लिए प्रदत्त आर्थिक या अन्य लाभों को वापस करने की आवश्यकता नहीं है। इसी बिन्दु के सम्बन्ध में एक अन्य न्याय निर्णयन है श्याम बाबू वर्मा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1994) 2 एस.सी.सी. 621, इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा समान परिस्थिति के लिए अवधारित किया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता को उच्च वेतनमान उसकी गलती या उसकी वजह से नहीं मिला है, इसलिए उसे पहले से दिए गए वेतन की वसूली करना सही व उचित नहीं होगा। उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ के द्वारा हरीश चंद्र श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (1996) 3 यूपीएलबीईसी 1840 में इसी तरह के विवाद से निपटने का अवसर मिला था। उस मामले में भी, याचिकाकर्ता को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाले सेवानिवृत्ति लाभों का आदेश याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया था, जिसे गलत तरीके से पदोन्नत किया गया था और उसे उच्च वेतन का भुगतान किया गया था। यह अवलोकित किया गया था कि विवादित आदेश न केवल याचिकाकर्ता

को सुनवाई का उचित अवसर देने के अभाव के आधार पर अभिखंडित करने के योग्य था, बल्कि इस आधार पर भी कि याचिकाकर्ता को उसकी पदोन्नति किये जाने और उसे उच्च वेतनमान प्रदान करने की विभाग की गलती के लिए याचिकाकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था। देखें गैब्रियल सेवर फर्नांडीस बनाम कर्नाटक राज्य (1965) सप्लीमेंट (1) एससीसी 149।''

12. याचिकाकर्ता को उसकी अधिवार्षिता की आयु के बाद विस्तारित अवधि दिनांक–01.09.2014 से दिनांक–30.09.2016 में प्रदान की गयी सेवाओं के लिए भुगतान की गई धनराशि पारिश्रमिक के रूप में भुगतान की गयी है और प्रत्यर्थी के गलत निर्णय के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को विस्तारित अवधि में उसके कर्तव्य पालन करने की अनुमति दी गई थी। प्रत्यर्थी अपनी स्वयं की गलती का कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभों से कोई धनराशि वसूल नहीं कर सकता था, इसलिए यदि कोई धनराशि उपरोक्त विस्तारित अवधि के लिए प्रत्यर्थी के द्वारा वसूल की गई है, प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के दो माह के भीतर याचिकाकर्ता को प्रतिपूर्ति करे।

(शरद कुमार शर्मा, जे0)
19.07.2022